

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7453-448-इककीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 दिसम्बर 2011 को
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३८ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ७) अधिनियम , २०११

[दिनांक २१ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०११ है।

३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु.

१२,७६,३५,६०,९१७
का दिया जाना।

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग एक हजार दो सौ छिह्नतर करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार नौ सौ सत्रह रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी।

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१)	(२)	(३)
अनुदान का क्रमांक	सेवायें और प्रयोजन	आधिक्य
		भारित
		योग
		(राशि रुपये में)
०१. सामान्य प्रशासन	राजस्व	७१,५०,२३५
०२. लोक ऋण (वित्त विभाग)	पूंजी	८,०१,९८,५८,१३९
०३. पुलिस	राजस्व	०
		(राशि रुपये में)
		८,०१,९८,५८,१३९
		७१,५०,२३५
		२,९७१
		२,९७१

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
१४. पशुपालन			
	राजस्व	१,८५,१२,१५९	०
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	५०,६६,०९,६३१	३,४५,४०५
२४. लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल			
	राजस्व	८०,१९,५७,०६६	०
२५. खनिज साधन			
	राजस्व	१६,११,४९४	०
२७. स्कूल शिक्षा			
	पूंजीगत	२,९८,२२,१६,३०४	०
२९. विधि एवं विधायी कार्य			
	राजस्व	०	१,७५,४३,६७३
५०. बीस सूत्र कार्यान्वयन			
	राजस्व	४३,५१,८४४	०
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
	राजस्व	१५,७९,०८,४१०	०
५९. १०वां वित्त आयोग (स्कूल शिक्षा)			
	पूंजीगत	७,५८,३१,६८२	०
६२. चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व	६८,८०५	०
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन			
	राजस्व	१५,१२,६३,५२३	०
७७. वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व	१,८०,९९,७५१	०
			१,८०,९९,७५१

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
८१. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	०	२,२९,८२५
योग :	{ राजस्व १,६६,७५,३२,९१८ पूँजीगत ३,०५,८०,४७,९८६	१,८१,२१,८७४	१,६८,५६,५४,७९२
बृहद योग :	४,७२,५५,८०,९०४	८,०३,७९,८०,०१३	१२,७६,३५,६०,९१७

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7454-448-इकोस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 38 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION, (No.-7) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 21st December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd December, 2011.]

An Act to Provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1999 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows:—

Short title

Issue of Rs. 12,76,35,60,917 out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain expenses expenditure for the year ended on 31st March, 1999.

Appropriation.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.-7) Act, 2011.

2. **From and out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of One thousand two hundred seventy six crores thirty five lakhs sixty thousands nine hundred seventeen rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 1999 in excess of the amounts granted for those services and for that year.**

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 1999.

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purpose	(3) Excess			Total (Amt. in Rs.)
		Voted (Amt. in Rs.)	Charged (Amt. in Rs.)		
1. Finance (Public Debt)	Capital	0	8,01,98,58,139	8,01,98,58,139	
2. Exp. Pertaining to General Administration Deptt.	Revenue	71,50,235	0	71,50,235	
3. Police	Revenue	0	2,971	2,971	
14. Exp. Pertaining to Animal Husbandry Deptt.	Revenue	1,85,12,159	0	1,85,12,159	
20. Public Health Engineering	Revenue	50,66,09,631	3,45,405	50,69,55,036	
24. Public Work R&B	Revenue	80,19,57,066	0	80,19,57,066	
25. Exp.Pertaining to Mineral Resources Deptt.	Revenue	16,11,494	0	16,11,494	
27. School Eduction	Capital	2,98,22,16,304	0	2,98,22,16,304	
29. Administration of Justice and Elections	Revenue	0	1,75,43,673	1,75,43,673	
50. Exp. Pertaining to 20 Point Impelmentation Deptt.	Revenue	43,51,844	0	43,51,844	
58. Exp. On Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	15,79,08,410	0	15,79,08,410	
59. Tenth Finance comm. School Education	Capital	7,58,31,682	0	7,58,31,682	
62. Externally Aided Project Pertaining to Medical Education	Revenue	68,805	0	68,805	
67. Public Work Building	Revenue	15,12,63,523	0	15,12,63,523	
77. Externally Aided Project Pertaining to Forest Deptt.	Revenue	1,80,99,751	0	1,80,99,751	
81. Financial Assistance to Urban Bodies	Revenue	0	2,29,825	2,29,825	
Total	{	Revenue 1,66,75,32,918	1,81,21,874	1,68,56,54,792	
Grand Total		Capital 3,05,80,47,986	8,01,98,58,139	11,07,79,06,125	
			4,72,55,80,904	8,03,79,80,013	12,76,35,60,917